an>

Title: Need to address the problems being faced by the farmers living near the Wild life sanctuary in 'Bore' region of Wardha Parliamentary Constituency of Maharashtra.

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा के बोर क्षेत्र में 1970 में अभयारण्य घोषणा सरकार ने की थी। वर्ष 2012 में अभयारण्य की घोषणा करते हुए प्रस्तावित अभयारण्य की सीमा भी बढ़ाई गई। इस अभयारण्य के बनाये जाने के क्रम में लगभग 40 गांवों को अधिगृहीत किया जा चुका है और करीब 10000 पशु भी इससे प्रभावित हुए हैं जबकि इस क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय दूध उत्पादन है। अधिगृहीत क्षेत्र में पशुओं को चराने हेतु जाने पर पशुओं को वन विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता है और किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिये जाते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चरागाह की इस स्थिति के कारण किसानों द्वारा पशुधन को बाध्य होकर कसाइयों को बेचा जा रहा है। इस कारण दूध उत्पादकों को गहरा झटका लगा है। मेरा आपसे आग्रह है कि दूध उत्पादकों, किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराधिक प्रकरण को वापिस कराकर किसानों को अधिगृहित भूमि को पशुओं को चरागाह को प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।